**<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>**

**<u>अपील/डिक्री/3060/2003/हनुमानगढ</u>**

श्रीमती परमेश्वरी पुत्री स्व. टीकूराम पत्नी श्री मोमनराम जाति जाट निवासी धीरबास बडा तहसील तारानगर जिला चूरू फौत जरिये कायम मुकाम–

1. महेन्द्र पुत्र परमेश्वरी पुत्री स्व.टीकूराम
2. बुधराम पुत्र परमेश्वरी पुत्री स्व.टीकूराम
3. प्रताप पुत्र परमेश्वरी पुत्री स्व.टीकूराम
4. गुडडी पुत्री परमेश्वरी पुत्री स्व.टीकूराम
5. मोमन राम पति परमेश्वरी पुत्री स्व.टीकूराम
   सभी जाति जाट निवासी धीरवास बडा तहसील तारानगर जिला चूरू

अपीलार्थी

**बनाम**

1. भादर पि.मु. पुत्र बिसनाराम जाति जाट निवासी ग्राम बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर

**रेस्पोडेन्ट्स**

**<u>खण्ड पीठ</u>**

**श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य**
**श्री धूकलराम कसवां सदस्य**

**<u>उपस्थित</u>**
श्री एस.पी.सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री जे.पी.माथुर अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

**<u>निर्णय</u>**

**दिनांकः26.03.2019**

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 22–3–03 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर के न्यायालय में अपीलार्थी वादी ने एक राजस्व वाद अधिनियम की धारा 88,53,188 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी प्रतिवादी, के विरूद्ध ग्राम बडबिराना तहसील नोहर में स्थित वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया। प्रतिवादी की ओर से जबाब दावा पेश होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित कुल चौदह तनकीयात कायम की गई और अपने निर्णय दिनांक 2-4-2002 से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 22-3-2003 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी पर सुनी गई। तत्पश्चात उभय पक्ष के अभिभाषकगण की सहमति से अपीलार्थी श्रीमती परमेश्वरी के कायम मुकामान को रेकार्ड पर लेने के आदेश दिये जाते हैं।

4. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी वादिया का पिता टीकूराम अपने पिता विशनाराम अर्थात वादिया के दादा के जीवनकाल में ही फौत हो गया था। इस कारण विशनाराम ने प्रतिवादी संख्या 1 भादर को दत्तक पुत्र के रूप में

गोद लिया था तथा स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 भादर ने अपने जबाब दावे के मद संख्या 2 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसके दत्तक पिता विशनाराम का स्वर्गवास हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बाद में हुआ। इस कारण उक्त अधिनियम की धारा 8 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। इसलिये वाद पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 भादर के साथ सहखातेदार काश्तकार निस्फ हिस्सा खातेदार थी। उक्त कानूनी तथ्य को नजर अन्दाज कर वाद को निरस्त करने में विधिक भूल की है। तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादिया पर था जिसके बाबत अपीलार्थी ने प्रदर्श–1 से प्रदर्श 15 तक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है जिनको साबित करने हेतु स्वतंत्र गवाहों के हलफिया बयान पी डब्लू–1 से लेकर पी डब्लू–6 तक करवाये गये जिन्होंने वाद पत्र में अंकित कथनों की ताईद की है। उक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर विस्तृत कानूनी विवेचन करने के बाद विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट स्वीकार किया है कि वादिया परमेश्वरी टीकूराम की पुत्री है, परन्तु वाद पत्र को महज इसी कानूनी बिन्दु के आधार पर निरस्त कर दिया कि वादिया का आराजी मुतनाजा पर कब्जा नहीं है। इस कारण उसे खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। जब वादिया को टीकूराम की पुत्री होना मान लिया तो फिर विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार उसका पडदादा नोपाराम व दादा विशनाराम था। इस प्रकार भूमि पुश्तैनी है इसलिये वादिया प्रतिवादी संख्या 1 के साथ कानूनन सहखातेदार काश्तकार हो चुकी थी। एक सहखातेदार काश्तकार का कब्जा दूसरे सहखातेदार काश्तकार वादिया

का ही कानूनन माना जावेगा। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तनकी संख्या 1 में यह निर्णय दिया कि वारिसान घोषित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है जबकि इस बाबत कोई तनकी कायम नहीं की गई तथा तनकी संख्या 8 को वादिया के विरूद्ध इस आधार पर निर्णित किया कि विशनाराम के दो पुत्रियां थी जिनको पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिये कुसंयोजन है। जबकि उन्होंनें इस महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य पर गौर नहीं किया कि स्वयं प्रतिवादी भादर ने अपने जबाब दावे के मद संख्या 19 में उल्लेख किया है कि किडी एवं मघी ने उसके हक में अधिकार तर्क कर दिये हैं। इस कारण उक्त दोनें आवश्यक पक्षकार नहीं थी एवं वैसे भी कानूनन आदेश 1 नियम 9 जाब्ता दीवानी में वर्णित कानूनी प्रावधानों के तहत कुसंयोजन के आधार पर वाद को निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाकर अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे। अपने कथन के समर्थन में आर आर डी 1997 पेज 427, आर आर डी 1995 पेज 113, आर बी जे 2017 पेज 141, आर आर टी 2018(2)पेज 976,डी एन जे 2001 एस सी पेज385 की नजीरें पेश की।

6. जबाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विशनाराम की दो पुत्रियां किडी व मघी और थी । टिकूराम का देहान्त सम्बत 2007 में निःसन्तान हुआ था। टिकूराम की बेबा चुन्नी ने फूलाराम पुत्र रामकरण से करेवा कर लिया था। वादिया फूलाराम के नुत्फे से चुन्नी के पैदा हुई थी। वादिया ने अपने आप को टिकूराम की पुत्री घोषित कराने हेतु वाद में अनुतोष चाहा है जिसकी घोषणा केवल सिविल न्यायालय ही कर सकता

है। वादिया ने अपने आपको टिकूराम की पुत्री साबित करने हेतु बहियों की फोटा प्रतियां पेश की हैं। विवादित भूमि पर विशनाराम के जीवनकाल से ही प्रत्यर्थी का कब्जा चला आ रहा है। वादिया द्वारा कब्जा प्राप्त करने हेतु कोई अनुतोष नहीं चाहा है। मौखिक साक्ष्य में भी प्रस्तुत गवाहान वादिया के कथनों का समर्थन नहीं करते हैं। विवादित भूमि हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है जिसमें प्रतिवादी का पैदाइशी हिस्सा है। प्रतिवादी उक्त भूमि का अकेला खातेदार काश्तकार है। टिकूराम की मृत्यु के पांच माह बाद ही चुन्नी ने करेवा कर लिया था। वादिया उक्त भूमि का मुझे खातेदार स्वीकार कर चुकी है। वादिया ने मौखिक साक्ष्य में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि विशना राम के दो लडकियां और थी जिन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। मौखिक साक्ष्य व वाद पत्र के कथनों में भी पूर्णतया विरोधाभास है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। अपने कथन के समर्थन में 1957 ए आई आर पेज 57, 2015 आर आर टी पेज543,2018 आर बी जे पेज 690,2018 आर बी जे पेज 2015, 2007 आर आर टी पेज 723,2016डी एन जे पेज205, 1998 आर बी जे पेज 487,2014 आर आर टी पेज 593,1999 आर आर डी पेज 440,2014डी एन जे राज. पेज 286,2015 आर बी जे पेज 136,2017आर बी जे पेज 171,2016 आर बी जे पेज1, 2018 आर आर टी पेज 1310,ए आई आर 1954 एस सी पेज340, 2007 आर आर टी पेज728 की नजीरें पेश की।

7. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।

8. इस प्रकरण में मुख्य निर्णायक बिन्दु यह है कि क्या वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 भादर दोनों वाद पत्र में अंकित विवादित भूमि के निस्फ निस्फ हिस्से के मुश्तरका खातेदार काश्तकार हैं? इस परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादिया ने अपने वाद पत्र में यह कथन किया है कि वादी टिकूराम की पुत्री होने के कारण विशना राम की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ1/2 हिस्से की हकदार है। वाद पत्र में किये गये कथनों के अनुसार विशनाराम का देहान्त सम्बत 2017–18में होना अंकित किया है व विशना राम के पुत्र टिकूराम का देहान्त विशनाराम के जीवनकाल में हो चुका था। दोनों पक्ष इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि भादरराम विशनाराम का खोलायत पुत्र है। वादिया स्वयं को टिकूराम की पुत्री होने के आधार पर 1/2 हिस्से की घोषणा कराना चाहती है। पत्रावली में उपलब्ध मौखिक साक्ष्य पी डब्लू–1 वादिया ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि टिकूराम का देहान्त 2007 में हो गया था। उसकी मृत्यु के समय मेरी उम्र 5–6वर्ष की थी व स्वयं को चुन्नी एव टिकू की पुत्री होना कथन किया है। पी डब्लू 2 नेकीराम ने वादिया को टिकूराम व चुन्नी की पुत्री होना माना है तथा वादिया की शादी सम्बत 2015 में होने का कथन किया है तथा इस तथ्य को स्वीकार किया है कि टिकूराम के मरने के 10–12 महीने बाद में चुन्नी ने फूला की चूडी पहन ली थी । पी डब्लू–3 मोमन राम ने कथन किया है कि परमेश्वरी की उम्र शादी के समय 12–13साल थी। पी डब्लू–4 मेहरचन्द ने टिकूराम की मृत्यु के समय उम्र 35–40 साल होने का कथन किया है व स्वयं का जन्म सम्बत 1999 में होना बताया है। सभी गवाहान ने मुख्य रूप से वाद में यही कथन किया है कि वादिया टिकूराम

की पुत्री है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श–7 वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बडबिराना तहसील नोहर के अनुसार विशनाराम के वारिस टीकूराम,मगी बाई,किडी बाई परमेश्वरी पुत्री टीकूराम हैं। जिसमें परमेश्वरी को टिकूराम की पुत्री बताया गया है। जिसका विपक्षी की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है। प्रतिवादी की ओर से अपने जबाब दावे के मद नं 2 में यह कथन किया गया है कि टीकूराम निःसन्तान मरा था और उसकी बेबा मु. चुन्नी ने ग्राम बडबिराना में ही विशनाराम के कुटुम्ब में फूलालराम पुत्र रामकरण से टीकूराम की मृत्यु के करीब 5–6 माह बाद पुर्नविवाह कर लिया था और वादिया उक्त फूलाराम के नुत्फे से मु. चुन्नी की पैदा करदा पुत्री है न कि टीकूराम की। प्रतिवादी ने अपने इस कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है न ही ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र का दस्तावेजी साक्ष्य से कोई खण्डन किया है। वादिया यदि फूलाराम के नुत्फे से मु. चुन्नी की पैदा करदा पुत्री कथन करता है तो उसको अपने कथन के समर्थन में इस बाबत वोटर लिस्ट,राशन कार्ड,स्कूल प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश करने चाहिये थे। मात्र मौखिक कथन से प्रतिवादी के कथन की पुष्टि नहीं की जा सकती है। जबकि वादिया ने अपने आप को टीकू की पुत्री होना दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित किया है। दोनें अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वादिया टीकूराम की पुत्री है परन्तु राजस्व न्यायालय को वारिसों की घोषणा करने का अधिकार नहीं है। हम दोनें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये इस निष्कर्ष से समत नहीं है। क्योंकि वादिया का वाद टीकूराम की पुत्री घोषित कराने बाबत नहीं है बल्कि उसके द्वारा प्रस्तुत वाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने के कारण

पैतृक सम्पति में 1/2 हिस्सा प्राप्त करने बाबत है। इस प्रकरण विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। जहां तक दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नही करने का प्रश्न है,यदि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय में तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुंटि कारित की है तो उसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। जहां तक पुत्री घोषित कराने बाबत क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का होने का प्रश्न है,वर्तमान प्रकरण में वादिया द्वारा वाद पुत्री घोषित कराने बाबत नहीं है बल्कि पुत्री होने के नाते पैतृक सम्पति में 1/2हिस्सा प्राप्त करने के लिये वाद प्रस्तुत किया है। जहां तक बिना कब्जे के खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत करने का प्रश्न है, वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है और वादिया प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है जिसमें पुत्री होने के नाते वह 1/2हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। जहां तक ग्राम पंचायत को वारिस प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम नही होने का प्रश्न है, प्रथम तो प्रत्यर्थी द्वारा उसके विरूद्ध कोई खण्डनात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है दूसरा जबाब दावे के मद संख्या 2 में कथन किया गया है उसके बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। अन्ततोगत्वा यह निष्कर्ष निकलता है कि वादिया टिकूराम की जायज वारिस है और प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है इसलिये वह कानूनन वादपत्र में अंकित आराजी में 1/2हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

9. उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित

निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाते हैं। वाद पत्र में अंकित आराजी का अपीलार्थी वादिया व प्रत्यर्थी प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णयानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29–4–2019 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य